

प्रेस-विज्ञप्ति**थाना- बरदह****अवैध गांजा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल नेतृत्व में दिनांक 06.01.2021 को Si संजय सिंह मय हमराह तलाश वाँछित अपराधी संदिग्ध व्यक्ति के मामूर होकर ठेकमा ब्लाक गेट के पास खडे होकर संदिग्ध वाहनो को चेकिंग कर रहे थे कि मुखबीर खास ने आकर बताया कि तम्मरपुर माइनर पुलिया पर एक व्यक्ति खड़ा है। जिसके हाथ मे लिए झोले मे गाँजा है। मुखबीर की सूचना पर विश्वास करके पूर्व से क्षेत्र मे रवाना कान्स0 योगेन्द्र यादव व कान्स0 बृजेश यादव को बुलाकर पुलिस बल के साथ मय मुखबीर द्वारा बताये हुए स्थान पर जहा मार्टिनगंज जाने वाले मार्ग तम्मरपुर माइनर नगर पुलिया पर पहुचें जहां एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। मुखबीर थोड़ी दूरी पहले सामने खड़े व्यक्ति की ओर इशारा करके चला गया तथा पुलिस बल छूपते छिपाते करीब पहुचे कि अचनाक पुलिस को देखकर तेज कदमो से मार्टिनगंज की ओर जाने लगा जिसे नहर पुलिया पर ही घेरकर समय करीब 4.30 बजे शाम पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम सूरज कुमार पुत्र छठटू राम निवासी ग्राम मुड़हर थाना गम्भीरपुर जिला आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष बताया जिसकी जामा तलाशी ली गई तो हाथ मे लिये हुये झोले से कुल 1 किलो 250 ग्राम गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 06/2021 धारा 8/20 NDPS ACT पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि गांजा बेचकर अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त

सूरज कुमार पुत्र छठटू राम निवासी ग्राम मुड़हर थाना गम्भीरपुर जिला आजमगढ़

बरामदगी-

1 किलो 250 ग्राम गांजा

पंजीकृत अभियोग-

मु.अ.स. 06/2021 धारा 8/20 NDPS ACT

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

Si संजय सिंह मय हमराह का0 अनुपम सिंह का0 योगेन्द्र यादव का0 बृजेश यादव

थाना-बिलरियागंज**हत्या के वांछित अभियुक्त हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल हासिया के साथ गिरफ्तार**

दिनांक 06.01.2021 को श्री गुड्डू पुत्र राधे निवासी ग्राम बड़ागाँव बड़ेहरा थाना कोतवाली लखिमपुर जनपद लखिमपुर खीरी द्वारा थाना हाजा पर उपस्थित आकर लिखित सूचना दिये कि ग्रा0 खानपुर भगतपट्टी में अवधेश सिंह के टुयेबल पर रहकर गाँव में गन्ना छिलने का काम करते है तथा मेरे पड़ोस के सुरेश यादव पुत्र रज्जू , पप्पू पुत्र हीरालाल निवासी गण वडा गाव बड़ेहरा भी साथ रहकर काम करते हैं। आज दिनांक 6.1.2021 को शाम करीब 7 बजे शाम को सुरेश पुत्र रज्जू व पप्पू पुत्र हीरालाल दोनो

चाचा भतीजा आपस में घरेलू विवाद को लेकर कहासुनी करने लगे हम लोगो ने बीच बचाव करने का प्रयास किया लेकिन सुरेश ने अपने भतीजे पप्पू को गन्ना छिलने वाले हसिये से मार दिया जिससे पप्पू के पैर व गर्दन पर काफी चोट आयी थी बिलरियागंज अस्पताल में इलाज हेतु ले गये जहाँ पर डाक्टर ने उन्हे मृत घोषित कर दिया हैं।
दाखिला तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 003/21 धारा 304 भादवि पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार सिंह के सहयोग से तलाश वांछित अपराधी रोकथाम जूर्म जरायम के दृष्टीगत क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर उ0नि0 हृदयानन्द पाठक मय हमराह के दिनांक 07.01.2021 को समय 09.30 बजे दिन में अभि0 सुरेश यादव पुत्र रज्जू सा0 बड़ागाँव बड़ेहरा थाना कोतवाली लखीमपुर जनपद लखीमपुर खीरी को खजियावर स्कूल से गिरफ्तार करते हुए घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अदद हासिया बरामद किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सुरेश यादव पुत्र रज्जू सा0 बड़ागाँव बड़ेहरा थाना कोतवाली लखिमपुर जनपद लखिमपुर खीरी

बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त एक अदद आलाकत्ल हासिया

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 03/21 धारा 304 भादवि थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

उ0नि0 हृदयानन्द पाठक थाना बिलरियागंज आजमगढ़

का0 अरूण सिंहथाना बिलरियागंज आजमगढ़

का0 रविशंकर उपाध्याय थाना बिलरियागंज आजमगढ़

म0का0 गुड़िया यादव थाना बिलरियागंज आजमगढ़

थाना कन्धरापुर

चोरी के माल सहित दो अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये गये अभियान वांछित / गैंगेस्टर चोर लुटेरा नकबजन के वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल निर्देशन मे दि0 06.01.21 को कन्धरापुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सुचना पर सेहदा जंगल से मु0अ0सं0 03/21 धारा 379/411 भादवि से सम्बन्धित

अभियुक्तगण 1. उमेश राम पुत्र रामचन्द्र राम नि० सेहदा थाना कन्धरापुर ,
आजमगढ़ व 2. रविन्द्र कुमार पुत्र विक्रम राम नि० करतारपुर थाना कोतवाली
आजमगढ़ जनपद आजमगढ़ को दिनांक 06/01/21 को समय 16.50 बजे
गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की जामा तलाशी लेने पर अभियुक्त उमेश
राम के कब्जे से चोरी की एक बैटरी जिसपर luminous कम्पनी solar tubular
battery बरामद हुआ तथा अभियुक्त रविन्द्र कुमार के कब्जे से एक पीली बोरी में
एक समर सेबुल VARSHAA कम्पनी का तथा एक स्टाटर AMCO कम्पनी का,
एक लोहे की ब्लेड, एक पेचकस की मुठिया, एक कटा हुआ ताला बरामद हुआ।
अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. उमेश राम पुत्र रामचन्द्र राम नि० सेहदा थाना कन्धरापुर, आजमगढ़
2. रविन्द्र कुमार पुत्र विक्रम राम नि० करतारपुर थाना कोतवाली आजमगढ़
जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग

1. मु०अ०स० 03/21 धारा 379/411 भादवि - थाना कन्धरापुर

बरामदगी

एक बैटरी जिसपर luminous कम्पनी solar tubular battery, एक पीली बोरी
में एक समर सेबुल VARSHAA कम्पनी का तथा एक स्टाटर AMCO कम्पनी
का, एक लोहे की ब्लेड, एक पेचकस की मुठिया, एक कटा हुआ ताला

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व०उ०नि० कैलाश सिंह यादव - थाना कन्धरापुर
2. HGPC रामचरन राम – थाना कन्धरापुर

थाना- गम्भीरपुर

हत्या के वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार

दिनांक 05.12.2020 को पारिवारिक झगड़े व जमीन बटवारे के विवाद को लेकर
अभियुक्तगण 1.महेश प्रसाद पुत्र मूलचन्द्र, 2.रजावती पत्नी महेश प्रसाद, 3.शुभम
उर्फ गोलू पुत्र महेश प्रसाद निवासीगण ग्राम सरायपल्टू थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़
ने अपने पट्टीदार अमरनाथ पुत्र कन्हैयालाल सा० सरायपल्टू थाना गम्भीरपुर ,
आजमगढ़ को लाठी – डण्डा व लात घूसा से मारपीट के दौरान गम्भीर रूप से
घायल कर दिया। घायल अमरनाथ उपरोक्त को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में
ही मृत्यु हो जाने के संबंध में वादी मुकदमा श्याम बिहारी राम पुत्र स्व० मूलचन्द्र

राम सा0 सरायपल्टू थाना गम्भीरपुर , आजमगढ़ के तहरीरी सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 215/20 धारा 302 भादवि बनाम 1.महेश प्रसाद पुत्र मूलचन्द्र, 2.रजावती पत्नी महेश प्रसाद , 3.शुभम उर्फ गोलू पुत्र महेश प्रसाद निवासीगण ग्राम सरायपल्टू थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़ पंजीकृत हुआ था।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान वांछित /वारण्टी की गिरफ्तारी तथा सदिग्ध व्यक्तियों के चेकिंग के तहत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में आज दिनांक 07.01.2021 को प्र0नि0 ज्ञानू प्रिया मय हमराह के देखभाल क्षेत्र कस्बा बिन्द्रा बाजार में मौजूदगी के दौरान मुखबिर खास ने सूचना दी कि अभियुक्तगण महेश प्रसाद , शुभम व रजावती देवी थाना गम्भीरपुर , आजमगढ़ कही जाने की फिराक में रोहुआ मोड़ आजमगढ़ वाराणसी हाईवे पर सन्त निरंकारी आश्रम के पास खडे है मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर प्र0नि0 मय हमराहियान के प्रस्थान कर रोहुआ मोड़ पर सन्त निरंकारी आश्रम से थोडा पहले ही मुखबीर बताया कि वही 2 आदमी और 1 औरत जो खडे है वही मुकदमा उपरोक्त के अभियुक्तगण है मुखबीर की बात पर विश्वास कर हिकमत अमली से खडे व्यक्तियों के पास पहुचकर उनका नाम पता पूछा गया तो क्रमश : अपना नाम महेश प्रसाद पुत्र मूलचन्द्र राम तथा दूसरे ने शुभम उर्फ गोलू व तीसरे ने अपना नाम रजावती देवी पत्नी महेश प्रसाद सा0 सरायपल्टू थाना गम्भीरपुर , आजमगढ़ बताये। अभियुक्तगण उपरोक्त को समय करीब 10.00 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- पूछने पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि जमीनी बटवारे को लेकर झगड़ा व मारपीट हो गयी थी। इसी दौरान चोट लग जाने के कारण अमरनाथ गम्भीरपुर रुप से घायल हो गया साहब मुझे नहीं पता था कि उसकी मृत्यु हो जायेगी। अपनी गलती की बार बार माफी मांग रहे है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 215/20 धारा 302 भादवि थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. महेश प्रसाद पुत्र मूलचन्द्र
2. रजावती पत्नी महेश प्रसाद
3. शुभम उर्फ गोलू पुत्र महेश प्रसाद निवासीगण ग्राम सरायपल्टू थाना गम्भीरपुर , आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

प्र०नि० ज्ञानू प्रिया , का० श्याम सिंह यादव , का० अनूप रावत , म०का० गरिमा सिंह